स्वास्थ्य के एक सामाजिक निर्धारक के रूप में साफ़-सफ़ाई की सुविधा तक पहुँच

(मिळून साऱ्याजणी व अन्य बनाम पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर व अन्य मामले में फैसले के आधार पर) 2015 SCC OnLine Bom 6256

सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए एक बुनियादी अधिकार

यह कहानी है एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्त्रीवादी लेखिका के बंबई उच्च न्यायालय तक जाने की, जिन्होंने महिलाओं के एक बुनियादी अधिकार को लागू करवाने की कोशिश की.

1989 में विद्या बल ने महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित मिळून साऱ्याजणी नाम की एक पत्रिका की शुरुआत की थी. 2011 में विद्या ने अपने संपादक और निर्मय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिल कर बंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाख़िल की जिसमें उन्होंने इस पर दिशानिर्देश मांगे कि:

-सड़कों पर चलने वाली महिलाओं के लिए समुचित और सुविधाजनक स्थानों पर शौचालय, मूत्रालय और अन्य समान सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ और उनका रख-रखाव किया जाए.

शुरुआत में याचिका सिर्फ पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ दायर की गई थी, लेकिन जब सुनवाई आगे बढ़ी तो अदालत ने याचिकाकर्ताओं को महाराष्ट्र के भीतर सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को जवाबदाता के रूप में जोड़ने की अनुमति दे दी.

और इस तरह महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ़-सफ़ाई के अधिकार को सुनिश्चित करने में अदालत के हस्तक्षेप की शुरुआत हुई.

कार्रवाई के लिए एक राज्यव्यापी आह्वान

19 दिसंबर 2014 को अंतरिम आदेश के ज़रिए, अदालत ने राज्य के सभी 14 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को निर्देश दिए कि वे महिला अधिकार संगठनों और क्षेत्र में काम कर रहे ग़ैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के साथ सलाह-मशविरे करते हुए एक योजना विकसित करें
उन्हें इन पहलुओं पर ध्यान देना था:

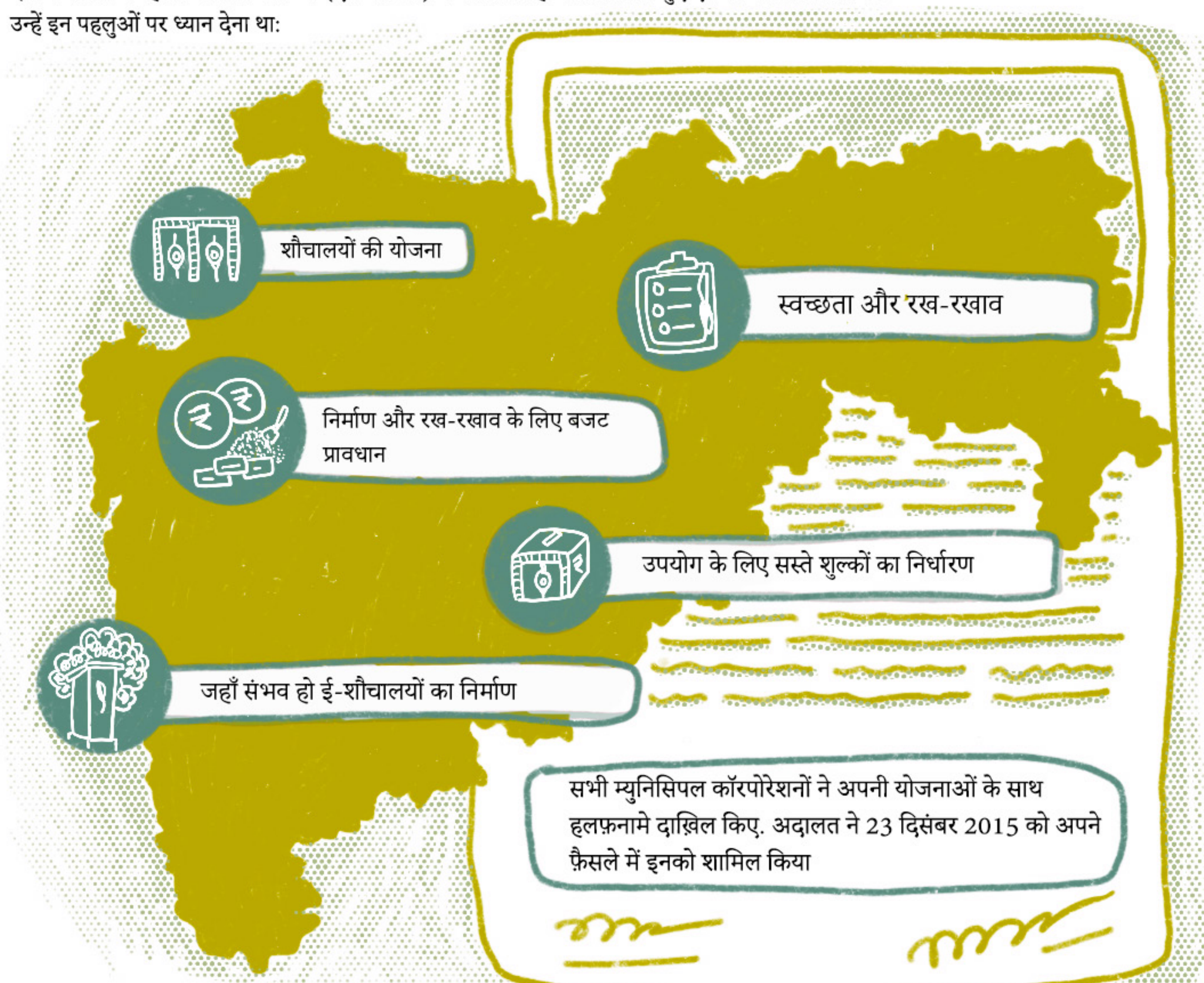

सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों ने अपनी योजनाओं के साथ हलफ़नामे दाख़िल किए. अदालत ने 23 दिसंबर 2015 को अपने फ़ैसले में इनको शामिल किया

हलफ़नामे में रखी गई शर्तों से असंतुष्ट अदालत ने टिप्पणी की कि मौजूदा शौचालयों का "*रख-रखाव ख़राब है, वे ऐसी जगहों पर स्थित हैं जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है और वे बहुत कम उपयोग में लाए जाते हैं*". अदालत ने इसमें दख़ल देने का फ़ैसला किया.

संविधान, राष्ट्रीय क़ानून और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं का हवाला

अदालत ने राज्य के लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित करते हुए क़ानून के तीन स्रोतों का हवाला दिया:

महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1949 की धारा 63 और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1888 की धारा 61 में *"कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले मामलों"* की व्यवस्था दी गई है

* अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन दोनों अधिनियमों के तहत संचालित होते थे. ये दोनों प्रावधान म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों पर इस बात की ज़िम्मेदारी डालते थे कि वे नालियों, निकासी के काम, सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और ऐसी समान सुविधाओं का निर्माण, उनका रख-रखाव और उनकी साफ़-सफ़ाई करें

अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत भारत की बाध्यकारी प्रतिबद्धता:

* अदालत ने आगे कहा कि मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणापत्र (यू.डी.एच.आर.) के अनुच्छेद 25 में भी स्वास्थ्य और आरोग्य (हाइजीन) के लिए समुचित जीवन स्तर के अधिकार की गारंटी की गई है. इंटरनेशनल कोवेनेन्ट ऑफ़ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स (आई.सी.ई.एस.सी.आर.) के अनुच्छेद 12 में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों के अधिकार को एक मानवाधिकार के रूप में स्वीकृत किया.

अहम बात यह है कि अदालत ने कहा कि आई.सी.ई.एस.सी.आर. के अनुच्छेद 12 का जनरल कमेंट नंबर 14 साफ़ तौर पर कहता है कि स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, स्वास्थ्य के अधिकार के एक मूलभूत घटक हैं, और इस मामले में स्वच्छता की सुविधाओं का अधिकार, स्वास्थ्य का एक सामाजिक निर्धारक है. स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक और नीतियाँ शामिल हैं जो स्वास्थ्य के अधिकारों को साकार करने की लोगों की क्षमताओं को प्रभावित करती हैं.

संविधान का अनुच्छेद 47: पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी

*अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) हैं और अपने आप में वे न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, भले ही केंद्र और राज्य सरकारों के पास यह शक्ति है कि वे अपने क़ानूनों और नीतियों को उनके आधार पर बनाएँ. लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को उनसे संबंधित मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ कर व्याख्या करते हुए उन्हें न्यायिक रूप से लागू किया जा सकता है. इस मामले में अनुच्छेद 47 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी को अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के साथ मिला कर उसकी व्याख्या की गई

संविधान का अनुच्छेद 21: जीवन का अधिकार
राज्य की ज़िम्मेदारियों को साफ़-साफ़ निर्धारित करने के साथ, अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच का अधिकार शामिल है, और उसने घोषणा की कि:

“कोई भी मनुष्य तब तक एक सम्मानपूर्ण जीवन नहीं जी सकता जब तक बुनियादी स्वास्थ्यकर सुविधाओं को क़ायम नहीं किया जाता. अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया अधिकार सार्थक नहीं हो सकता अगर साफ़ शौचालयों और स्वास्थ्यकर शौचालयों की सुविधा को सड़कों पर चल रही एक महिला को मुहैया नहीं कराया जाता. उसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, बैंकों, राज्य सरकार के कार्यालयों/म्युनिसिपल कार्यालयों जैसे सार्वजनिक कार्यालयों में इन सुविधाओं की ज़रूरत है.”

महज क़ानून नहीं: अदालत ने कौन से पहलुओं पर विचार किया?

अदालत ने सार्वजनिक शौचालयों के अभाव में महिलाओं के लिए विभिन्न समस्याओं को मद्देनज़र रखा:

स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव

अदालत ने मेडिकल रिपोर्टों पर विचार किया और कहा कि मूत्र त्याग को रोके रखने के नतीजे में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फ़ेक्शन (मूत्रनली का संक्रमण), ब्लैडर में सूजन और मूत्र संबंधी कई तरह के स्त्रीरोग हो सकते हैं

जेंडर और स्वास्थ्य

दालत ने कहा कि शहर के योजनाकारों और म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को महिलाओं के यौन व प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सरोकारों को ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि अधिक समतापरक सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं का विकास किया जा सके.

इसने रेखांकित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों के लिए उपलब्ध सार्वजनिक सेवाओं के आधे से भी कम महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं. इसके अलावा, महिलाओं को प्रोफेशनल कामकाज के साथ-साथ, अक्सर बच्चों की देखभाल और घर के काम-काज की ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ती हैं. इसके नतीजे में उनकी यात्रा ज़रूरतें पुरुषों के काम-काज और यात्राओं से गुणात्मक रूप से अलग होती हैं. इसके अलावा, महिलाएँ मनोरंजन के लिए पार्कों जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी जाती हैं, इस तरह अनेक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों तक पहुँच आसान होना अधिक ज़रूरी होता है. महिलाओं की माहवारी को देखते हुए भी हमेशा सार्वजनिक स्वच्छता सेवाओं तक बेहतर पहुँच की ज़रूरत महसूस होती है. इसके अलावा बड़ी संख्या में महिलाएँ बुज़ुर्ग व्यक्तियों, विकलांगता वाले व्यक्तियों और बच्चों की प्राथमिक देखभाल करती हैं.

ढाँचागत असुविधाएँ:

"शौचालयों की समस्याएँ इसलिए और गंभीर हो जाती हैं क्योंकि वे अनुचित स्थानों पर हैं, उनकी बनावट ख़राब है, मौजूदा सुविधाओं का रख-रखाव और प्रबंधन ख़राब है, शौचालयकर्मियों, पानी, बिजली, सुरक्षा, हिफ़ाज़त, सफ़ाई और आरोग्यकारी स्थितियों आदि का अभाव है. खुलने की सीमित अवधि, असमान वितरण और सुविधाओं का अनुचित स्थान पर होने के नतीजे में लोग यह कहते हैं कि 'जब भी ज़रूरत हो शौचालय नहीं मिलता है.'"

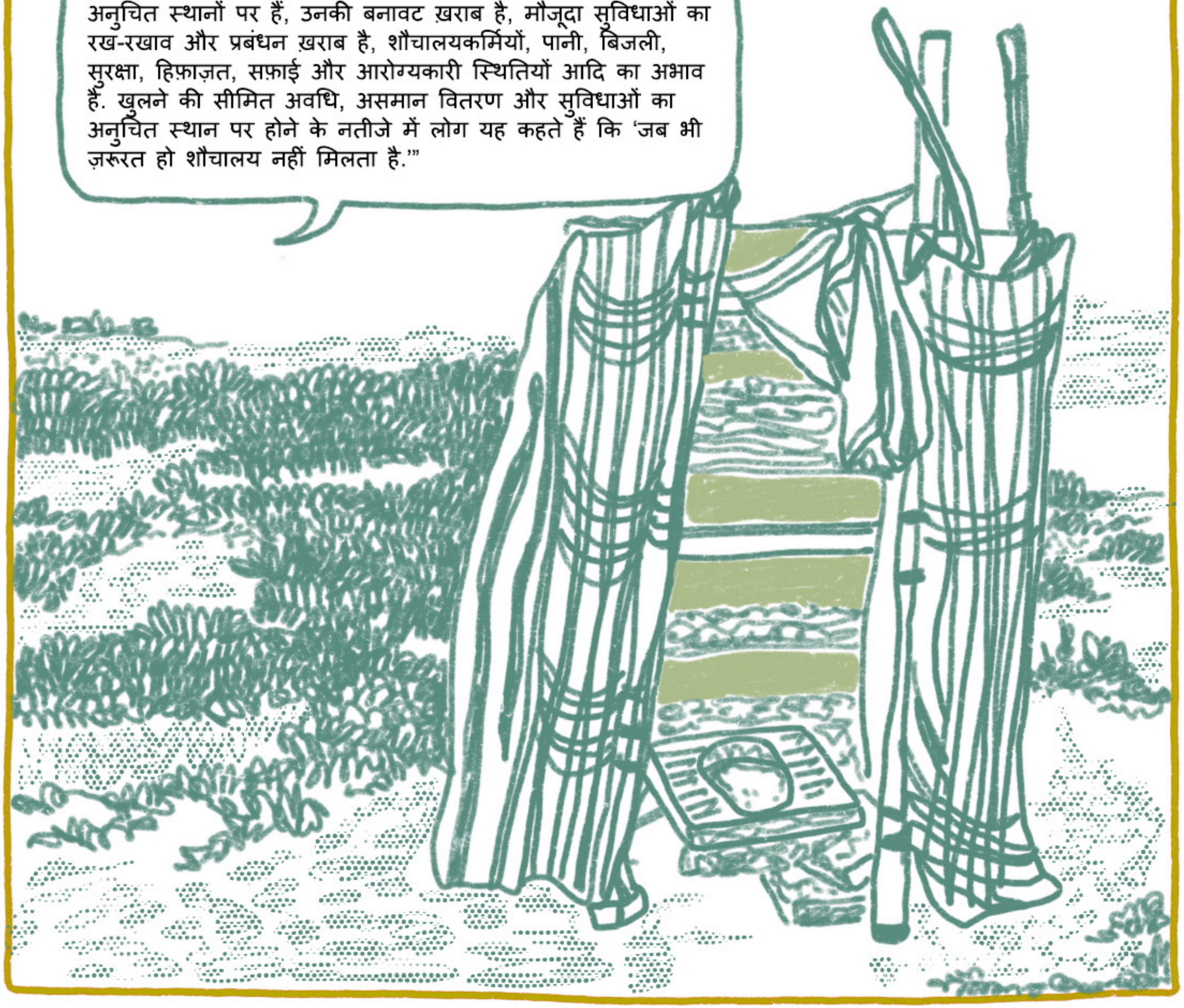

अदालत के निर्देश

सार्वजनिक शौचालयों तक पहुँच के अधिकार को जीवन और मानवीय मर्यादा के अधिकार के साथ जोड़ते हुए, अदालत ने हरेक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को निर्देशित किया कि वे एक समिति का गठन करें जिनमें संबद्ध नगर निगम पदाधिकारी, महिला व बाल विकास प्रभारी, स्थायी समिति के अध्यक्ष, एन.जी.ओ. की महिला प्रतिनिधि और नगर निगम पार्षद शामिल होंगे. समिति को निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए:

शौचालय बनाने के लिए जगहों की पहचान करना और उनके रख-रखाव की एक समग्र योजना बनाना. इन शौचालयों के निर्माण के उद्देश्य से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की जा सकती है.

योजना में सुविधा के उपयोग और रख-रखाव के लिए एक 'उपभोक्ता शुल्क' के भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है - लेकिन शुल्क इतने महंगे न हों कि महिलाओं द्वारा सुविधा का उपयोग करने में बाधक बनें.

संभावित जगहों का एक सर्वेक्षण किया जाए, जो बागीचों, बस अड्डों, रिक्शा/टैक्सी अड्डों, रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़-भाड़ वाली जगहों के आसपास होनी चाहिए

सभी शौचालयों में दिन के वक़्त समुचित रोशनी, बिजली और पानी की आपूर्ति होनी चाहिए और जहाँ संभव हो उन्हें सौर पैनलों द्वारा बिजली मुहैया कराई जानी चाहिए.

ऐसे शौचालयों में अन्य मूलभूत सुविधाओं में शामिल हैं:

क. नियमित सफ़ाई के उपकरण

ख. महिला कर्मियों की व्यवस्था

ग. सभी ज़रूरी चीज़ें जैसे कूड़ेदान, साबुन डिस्पेन्सर, स्वच्छता उत्पाद

घ. हर जगह कम से कम एक शौचालय ऐसा हो जो विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के उपयुक्त हो

शौचालय एक बार बन जाने के बाद समिति के सदस्यों द्वारा औचक जाँच जैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कामकाज सुचारू बना रहे. शिकायतों को दूर करने की एक व्यवस्था भी क़ायम की जानी चाहिए, जिसके लिए हरेक सार्वजनिक शौचालय में संपर्क करने का विवरण दिया जाना चाहिए.

सार्वजनिक शौचालय के लिए समुचित प्रचार और संकेत चिह्न को सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

एक नीति जो क़ानून बनी: स्वच्छता एक मानवाधिकार

मिळून साऱ्याजणी में हमने जो देखा वो बंबई उच्च न्यायालय द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप था. लेकिन हमें यह समझना होगा कि स्वच्छता और सार्वजनिक शौचालयों का अधिकार एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राज्य (सरकारी) और गैर सरकारी संस्थाओं/व्यक्तियों के बीच तालमेल ज़रूरी है.

ग़ौर करने लायक अहम बिंदु*:

- 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छता को एक सार्वभौम मानवाधिकार घोषित किया. टिकाऊ विकास लक्ष्य का उद्देश्य संख्या 6.2 सबके लिए समान स्वच्छता का आह्वान करता है.
- 2021 तक भारत खुले में शौच की प्रथा से मुक्त नहीं था. जल, स्वच्छता और आरोग्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ़ की एक संयुक्त निगरानी कार्यक्रम ने उजागर किया कि भारत की 15% आबादी अभी भी खुले में शौच करती है.
- भारत ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की और 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि इस मिशन के तहत 9.5 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं. लेकिन जिस तरह बंबई उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर बहुआयामी नज़रिया अपनाया, हमें भी कुछ मुश्किल सवालों को उठाने की ज़रूरत है:

आपस में जुड़ी पृष्ठभूमियों का सवाल:
वे कौन से जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक कारक हैं जो सार्वजनिक शौचालयों तक पहुँच को प्रभावित करते हैं?

ढाँचे का सवाल
क्या हम समग्र आरोग्य (हाइजीन) को सुनिश्चित करने के लिए निकासी जैसी प्रथाओं और ढाँचे को उन्नत बना रहे हैं?

स्वास्थ्य पर प्रभावों का सवाल
स्वच्छता के अभाव के स्वास्थ्य पर कौन-से दूरगामी प्रभाव होते हैं?

बजट
स्वच्छता के अधिकार के लिए हम अपने सार्वजनिक संसाधनों का कितना हिस्सा समर्पित करते हैं?

(*स्रोत: https://thewire.in/government/heres-why-india-is-struggling-to-be-truly-open-defecation-free)